तारीख हुक्म	**नरेन्द्र बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, बिलाड़ा)** सू.अ.अपील संख्या 160 / 2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.22	अपीलार्थी नरेन्द्र राम बेड़ा निवासी बेड़ों की ढाणी, हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2022 में उसके द्वारा (1) पंचायत समिति बिलाड़ा के वार्ड न. 16 के सदस्य हनुमान राम के नामांकन प्रपत्र के साथ दिए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि व आवेदन फॉर्म में दी गई समस्त सूचना से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	